

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2015 को

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है जिस पर बेसल-III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, नियंत्रक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट शामिल होते हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31.03.2015 को समाप्त अवधि के लिए समेकित करने पर विचार किया गया

निम्नलिखित अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंकों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
1	स्टेट बैंक ऑफ ब्रीकानेर एंड जयपुर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई ग्लोबल फैंक्टर्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं



क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	कनाडा	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना)	बोत्सवाना	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
28	एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
29	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
30	सी-एज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
31	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
32	एसबीआई मैकेवेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है



क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
33	एसबीआई मैकेवेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
34	मैकेवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
35	मैकेवेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	बरमुडा	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
37	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
39	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
40	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
41	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
42	मेघालय रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
43	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
44	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है



क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
45	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
46	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
47	पूर्वांचल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
48	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
49	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
50	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
51	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
52	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
53	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
54	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
55	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है



क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
56	दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
57	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
58	एसबीआई होम फाइनेंस लि.	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

ख. समूह की उन संस्थाओं की दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सूची जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्य-कलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
निरंक							

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. नियंत्रक समेकन में शामिल समूह की संस्थाओं की दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सूची

समेकन के नियंत्रक क्षेत्र में शामिल की गई समूह की संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)\$	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	6,012.68	102,301.54
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	9,596.56	154,502.78
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	4,932.37	79,468.93
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	7,244.26	116,709.10
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	5,252.35	105,595.43
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	मर्चेंट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएँ	1,018.77	1,137.37
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग और इसको सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	130.98	180.52

(₹ करोड़ में)



(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है) \$	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	आस्ति प्रबंधन कंपनी वेंचर फंड के लिए	3.49	3.56
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	कारपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	39.32	41.30
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	कारपोरेट वित्त व्यवस्था और सलाहकारी सेवाएँ	20.44	20.70
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ	59.66	60.37
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर	981.60	4,108.58
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	व्यापारी अभिग्रहण व्यवसाय से संबंधित सेवाएँ	1.82	1.92
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	फैक्टरिंग कार्यकलाप	321.95	786.98
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	एन पी एस ट्रस्ट की उन्हें आबंटित आस्तियों का प्रबंधन	33.59	34.26
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	कस्टोडियल सेवाएँ और फंड अकाउंटिंग सेवाएँ	79.02	82.07
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	20.45	20.46
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	537.77	675.12
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	1.46	1.66
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	965.63	6,148.09
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	772.43	4,576.93
22	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	630.29	3,432.20
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	118.59	571.53
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,145.08	6,365.81
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	260.74	1,601.59
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	316.95	3,898.95
27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना)	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	37.04	127.32

\$इक्विटी कैपिटल और रिजर्व तथा सरप्लस शामिल हैं



(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो नियंत्रक समेकन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं अर्थात जो घटा दी गई हैं:

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
निरंक				

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य) जो जोखिम-भारित हैं

बीमा संस्था का नाम/ उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
निरंक				

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधा : निरंक

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन

भारतीय रिजर्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती हैं। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता है।

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ▶ जोखिम | ▶ बाजार जोखिम |
| ▶ परिचालन जोखिम | ▶ ऋण केन्द्रीकरण जोखिम |
| ▶ चलनिधि जोखिम | ▶ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम |
| ▶ अनुपालन जोखिम | ▶ देश जोखिम |
| ▶ पेंशन निधि दायित्व जोखिम | ▶ नव व्यवसाय जोखिम |
| ▶ प्रतिष्ठा जोखिम | ▶ कार्यनीतिक जोखिम |
| ▶ ऋण जोखिम अल्पीकरण से छूट गए जोखिम | ▶ मॉडल जोखिम |
| ▶ निपटान जोखिम | ▶ कन्टेजन जोखिम |
| | ▶ प्रतिभूतिकरण जोखिम |

▶ भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहयोगी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों (देशीय एवं विदेशी) द्वारा अग्रिमों और अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि लागू होने से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है।

▶ 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास विकल्प हैं। वह गौण ऋण और बेमोयादी ऋण लिखत के अतिरिक्त जब-जब जरूरत हो, इक्विटी जारी कर सकता है।

▶ विदेशी अनुषंगियों के लिए पूंजी की कार्यनीतिक योजना तैयार करने में आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करते हेतु अपेक्षित पूंजी का निर्धारण किया जाता है। हर अनुषंगी की सीईटी 1/सीईटी2 और श्रेणी-2 पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद मूल बैंक पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन करता है, ताकि पूंजी का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।



मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

▶ मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो	₹1,22,801.41 करोड़
▶ निवेश का प्रतिभूतिकरण	शून्य

कुल ₹1,22,801.41 करोड़

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

▶ (मानक अवधि पद्धति)	
• ब्याज दर जोखिम	₹ 8363.48 करोड़
• विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है)	₹158.03 करोड़
• इन्विटी जोखिम	₹2,594.80 करोड़

कुल ₹11,116.31 करोड़

(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता

• मूल संकेतक पद्धति	₹12,113.96 करोड़
• मानक पद्धति (यदि लागू हो)	

कुल ₹12,113.96 करोड़

(ड) साझा श्रेणी-1 पूँजी, श्रेणी 1 और कुल पूँजी अनुपात:

दिनांक 31.03.2015 को पूँजी पर्याप्तता अनुपात

		सीईटी 1 (%)	टियर-1 (%)	योग (%)
• शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा • बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)	एसबीआई समूह	9.13	9.49	12.00
	भारतीय स्टेट बैंक	9.31	9.60	12.00
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	8.81	9.01	11.57
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.86	9.18	11.26
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	8.21	8.36	11.42
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.41	8.66	12.06
	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	8.61	8.90	10.89
	एसबीआई (मारीशस) लि.	23.66	23.66	24.42
	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	19.23	19.23	22.26
	भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	16.54	16.54	17.69
	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	29.40	29.40	29.40
	पीटी बैंक एसबीआई, इंडोनेशिया	22.12	22.12	22.71
	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	11.52	11.52	14.70
	एसबीआई (बोत्सवाना) लि.*	122.13	122.13	122.13



डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की अपेक्षा

पिछले बकायों और हासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। दिनांक 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां :

- किसी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;
- कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है
- खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;
- अन्य प्रकार के खातों में प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;
- अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और
- कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

'अनियमित श्रेणी'

कोई खाता उस स्थिति में 'अनियमित' माना जाता है जब उसमें बकाया राशि निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहे।

यदि किसी मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, किन्तु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक

कोई राशि जमा न की गई हो अथवा इस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा न की गई हो तो ऐसे खाते को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई राशि तब 'अतिदेय' मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा न की गई हो।

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन पर चर्चा

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। अवधारणाओं के विकास और प्राप्त अनुभवों से इस नीति और कार्यविधि में परिष्कार आया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।

ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

- प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इस हेतु विभिन्न जोखिमों को ध्यान में लेना। ये जोखिमों मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।
- औद्योगिक अनुसंधान, जिससे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों को संभालने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए जाएं और नीतिगत उपचार सुझाए जाएं। समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य परामर्शक दृष्टिकोण जारी किया जाए।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम के सभी घटकों की गणना की जाती है। ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम आदि इन घटकों के उदाहरण हैं।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएँ निर्धारित करना शामिल है। एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाना इस सीमा-निर्धारण का उद्देश्य है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेन्द्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर-कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार,



भू-संपदा आदि के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदण्डों से संबंधित आंतरिक दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक के पास एक ऋण नीति है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस संविभाग के अंदर अलग - अलग आस्तियों में कोई अनुचित गिरावट न हो। साथ ही साथ इसका उद्देश्य लचीलापन और नवोन्मेष के लिए काफी गुंजाइश छोड़ते हुए ऋण संबंधी मूलभूत बातें, मूल्यांकन निपुणताएं, दस्तावेज मानक और संस्थात्मक चिंताओं और कार्यनीतियों की जागरूकता स्थापित करके संविभाग स्तर पर आस्तियों की संपूर्ण गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना भी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा और नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि के लिए प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान हैं। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। दस करोड़ रुपए और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का लक्ष्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। जोखिमों की पहचान और उन्हें कम करने के उपाय भी इस लेखा-परीक्षा का विषय होते हैं।

डीएफ-3 : मात्रात्मक प्रकटीकरण

सामान्य प्रकटीकरण :	राशि करोड़ रुपये में		
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
मात्रात्मक प्रकटीकरण			
(ख) सकल ऋण जोखिम की कुल राशि	1737896.30	496900.73	2234797.03
(ग) जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : एफबी /एनएफबी			
विदेशी	243767.95	34149.38	277917.33
देशीय	1494128.35	462751.35	1956879.70
(घ) राशि का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण		कृपया तालिका 'क' देखें	
निधि आधारित /गैर-निधि आधारित अलग-अलग			
(ङ.) आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण		कृपया तालिका 'ख' देखें	
(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) अर्थात (I से iv का योग)			74626.63
i. अवमानक			23611.17
ii. संदिग्ध 1			16657.96
iii. संदिग्ध 2			26814.26
iv. संदिग्ध 3			4329.58
v. हानिप्रद			3213.66
(छ) निवल अनर्जक आस्तियां			37813.96
(ज) अनर्जक आस्ति अनुपात			
i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			4.29%
ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			2.24%
(झ) अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (सकल)			
i) प्रारंभिक शेष			80641.81
ii) वृद्धि			45810.39
iii) कमी			51825.57
iv) अंतिम शेष			74626.63
(ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			38425.88
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			23581.83
iii) अपलेखन			25113.13
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			81.91
v) अंतिम शेष			36812.67
(ट) अनर्जक निवेशों की राशि			584.41
(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			574.33



सामान्य प्रकटीकरण :	राशि करोड़ रुपये में			
	मात्रात्मक प्रकटीकरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
(ड) निवेशों के मूल्यहास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी				
i) प्रारंभिक शेष				1946.92
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान				171.55
iii) जोड़ें : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन				33.29
iv) अपलेखन				588.95
v) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन				884.53
vi) अंतिम शेष				678.28

तालिका-क : डीएफ-3 (डी) दिनांक 31.03.2015 को एक्सपोजर का औद्योगिक वितरण

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित
		मानक	अनर्जक	कुल	(शेष राशियां)
1	कोयला	3,776.83	406.38	4,183.21	2954.70
2	खदान	6,947.44	648.84	7,596.28	3629.59
3	लोह एवं इस्पात	122,160.37	6,846.85	129,007.22	31648.73
4	धातु उत्पाद	39,208.31	1,814.42	41,022.73	8713.47
5	सभी अभियांत्रिकी	38,354.11	3,156.20	41,510.31	72050.01
51	जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक	12,427.02	1,097.70	13,524.72	10831.81
6	बिजली	28,292.87	83.88	28,376.75	2012.58
7	सूती वस्त्र	37,236.49	2,667.18	39,927.06	4999.81
8	जूट वस्त्र	427.92	179.82	607.74	59.89
9	अन्य वस्त्र	21,625.68	2,087.67	23,713.35	2054.68
10	चीनी	9,163.14	307.05	9,470.19	694.21
11	चाय	761.38	29.62	791.00	58.32
12	खाद्य प्रसंस्करण	34,863.78	4,222.68	39,104.05	2381.03
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	7,787.00	1,474.39	9,253.29	5853.73
14	तम्बाकू/ तम्बाकू उत्पाद	698.65	10.83	594.33	292.33
15	कागज /कागज उत्पाद	5,703.05	1,346.58	6,984.05	949.68
16	रबड़/ रबड़ उत्पाद	7,180.37	312.41	7,426.61	1668.63
17	रसायन/ रंग/ रोगन आदि	78,263.34	4,185.67	82,487.23	47765.13
171	जिसमें उर्वरक	14,851.23	52.55	14,903.78	5352.27
172	जिसमें पेट्रोरसायन	41,061.02	719.75	41,757.38	32362.22
173	जिसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	10,797.70	2,593.45	13,420.87	2038.23
18	सीमेंट	10,264.88	423.88	10,688.76	2546.25
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2,696.29	99.16	2,795.45	422.37
20	रत्न एवं आभूषण	18,401.60	2,558.42	20,960.02	1990.37
21	निर्माण	12,769.57	153.71	12,907.14	3616.80
22	पेट्रोलियम	53,782.01	457.69	54,242.92	16519.63
23	ऑटोमोबाइल एवं ट्रक	12,692.08	95.61	12,796.28	5853.97
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,588.43	1,110.60	3,718.27	5963.43
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	249,417.80	9,007.16	258,574.06	74491.84
251	जिसमें बिजली	132,655.59	2,646.99	135,302.58	21966.08
252	जिसमें दूरसंचार	38,320.99	1,036.29	39,357.28	20210.96
253	जिसमें मार्ग एवं बंदरगाह	30,618.05	2,636.63	33,254.68	13937.46
26	अन्य उद्योग	110,366.50	2,264.97	112,631.47	42422.39
27	एनबीएफसी एवं खरीद-फरोख्त	153,456.47	6,836.57	160,293.04	53461.29
28	शेष अग्रिम	594,395.10	21,838.39	616,233.49	101825.87
	योग	1,663,269.67	74,626.63	1,737,896.30	496900.73



तालिका - खडीएफ-3 (ड) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शेष आस्तियों का संविदागत परिपक्वता विवरण
(₹ करोड़ में)

	1-14 दिन	15-28 दिन एवं दिन 3 माह तक	29 दिन एवं अधिक एवं 6 माह तक	3 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	6 माह से अधिक एवं 3 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1 नकदी	17572.50	0.27	0.92	0.96	8.21	9.44	0	0	17592.30
2 भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष	49542.65	1097.57	2955.35	3823.59	13940.17	18696.05	9723.81	26754.70	126533.89
3 अन्य बैंकों के पास जमाशेष	23652.92	1854.19	6889.18	5106.09	9230.77	10723.70	4920.15	2010.92	64387.92
4 निवेश	10558.31	7722.86	23054.22	20503.62	30442.02	97501.37	105348.01	341627.76	636758.17
5 अग्रिम	127511.62	23122.78	101226.00	98494.40	123524.58	807432.64	163011.19	249952.76	1694275.98
6 अचल आस्तियां	0	0	0.01	2.49	0	2.31	32.45	12559.81	12597.07
7 अन्य आस्तियां	40057.26	4149.91	9101.45	7453.10	2495.85	11183.31	1688.93	12284.18	88413.99
कुल	268895.26	37947.58	143227.14	135384.25	179641.60	945548.83	284724.53	645190.13	2640559.32

*बीमा संस्थाएँ, गैर-वित्तीय संस्थाएँ, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंतः-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

डीएफ-4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों के प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत आने वाले संविभाग के लिए

▶ प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों तो उनके कारण भी

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए और फिच इंडिया (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) तथा फिच, मूडीज एवं एसएण्डपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

▶ ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गई

(i) एक वर्ष या कम समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

▶ पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।

- उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2015 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

ख) जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियां	100% से कम जोखिम भार : ₹	1394384.78
	100% जोखिम भार : ₹	519929.48
	100% से अधिक जोखिम भार : ₹	317243.03
	घटाई गई ₹	3239.74
	कुल ₹	2234797.03



डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा निम्नलिखित सहित

▶ तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है

तुलन-पत्र की निवलीकरण जोखिम मर्दे ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है ;

जहां बैंक,

क. को यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;

ग. निवलीकरण के आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/ अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

▶ संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएं

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मर्दों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मर्दों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक

प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;

- (i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मर्दों का वर्गीकरण
- (ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
- (iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मर्दों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
- (iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
- (v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
- (vi) विदेशी रेटिंग
- (vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
- (viii) बीमा
- (ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मर्दों की निगरानी
- (x) सामान्य दिशा-निर्देश

▶ बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ ली गई हैं उनका ब्योरा

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मर्दों के रूप में मान्यता प्राप्त है ;

- नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
- स्वर्ण
- केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी-या बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/एउरेटिंग प्राप्त है

▶ मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण-पात्रता

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :

- सरकार, सरकारी संस्थाएं [बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई) सहित], सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।
- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (आब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है।



- ▶ जोखिम न्यूनीकरण मर्दों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी बैंक का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-
 - ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
 - सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां
 - प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण

	(राशि करोड़ रुपये में)
(ख) पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात,) जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	1,87,582.45
(ग) पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है।	12,459.00

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा, जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है :	
प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का लक्ष्य इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात् अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप।	लागू नहीं
प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा निर्वाहित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता# और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा; @ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में निर्धारित सीमामें प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई हो सकती है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो # कोई बैंक गारंटियों, ऋण डेरिवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो	लागू नहीं
प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन;	लागू नहीं
(ख) प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :	
क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं
प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं
(ग) बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटन : बैंकिंग बही	
(घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ) ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।	निरंक
(च) एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ) (च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं



(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि : तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ज)	यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर - I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)।	निरंक
	मात्रात्मक प्रकटन : क्रय-विक्रय वही	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि : तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के प्रकार सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गईं या खरीदी गईं: कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक निरंक
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि : प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं - अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण।	निरंक
	टियर - I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)	निरंक

डीएफ-7 क्रय-विक्रय बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण : देशीय बैंकिंग इकाइयां

(क) बाजार जोखिम की सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा, जिसमें मानकीकृत पद्धति द्वारा आवरित संविभाग सम्मिलित हैं

1) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना के अंतर्गत मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :

- ▶ 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली बांड एवं शेयर की धारिता।
- ▶ 'व्यापार के लिए रखी गई' श्रेणी वाली विदेशी मुद्रा और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी वाले म्यूचुअल फंड
- ▶ समस्त डिरीवेटिव्स स्थितियाँ, उन डिरीवेटिव्स को छोड़कर जो बैंकिंग बहियों के बचाव के लिए उपयोग किए जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार बचाव प्रभाविता परीक्षण पर खरे उतरते हैं।

2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) खोले गए हैं।

3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :

- क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति
- ख) सीमा प्रबंधन संरचना एवं बाजार जोखिम निर्वहन क्षमता विवरण
- ग) निवेश नीति
- घ) ब्याज दर प्रतिभूति और इक्विटी के लिए ट्रेडिंग नीति
- ङ) डेरीवेटिव्स व्यापार नीति
- च) विदेशी मुद्रा व्यापार नीति
- छ) जोखिम मूल्य नीति
- ज) दबाव परीक्षण नीति
- झ) मॉडल प्रमाणीकरण नीति
- ञ) मूल्यांकन नीति

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।



- 6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार जैसे आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।
- 7) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा (दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।
- 8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पञ्च-परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।
- 9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश-संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
- 10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा निम्नवत है :

	(रूप करोड़ में)
विवरण	राशि
ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	8363.48
इन्विटी स्थिति जोखिम	2594.80
विदेशी विनिमय जोखिम	158.03
कुल	11116.31

डीएफ-8 परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- ▶ परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।

- ▶ समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का निपटान व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां लागू हैं:

नीतियाँ एवं संरचना प्रलेख

- ▶ परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उद्देश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- ▶ आँकड़ा नुकसान प्रबंधन
- ▶ बाहरी नुकसान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली
- ▶ आई एस नीति
- ▶ आई टी नीति
- ▶ व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी)
- ▶ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली नीति
- ▶ अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल)/आतंकवाद वित्तीय निवारक उपाय नीति
- ▶ धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
- ▶ बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
- ▶ परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता संरचना (एसबीआई) प्रलेख
- ▶ परिवर्तन प्रबंधन संरचना प्रलेख
- ▶ पूंजी परिकलन संरचना प्रलेख

मैनुअल

- ▶ परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- ▶ आँकड़ा नुकसान मैनुअल
- ▶ व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- ▶ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस)

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ



अन्य विद्यमान नीतियाँ हैं - आपदा पुनरुत्थान योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएँ

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक)

उन्नत उपाय पद्धति

- ▶ जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में मंडलों में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय एवं सहयोग समूह (आरएनसी-एनबीजी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीबीजी, आरएमसी-एमसीजी, आरएमसी-एसएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।
- ▶ परिचालन जोखिमों से आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बासेल निर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का एक भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते-होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सेल आधारित एक टेम्प्लेट तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- ▶ जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेम्प्लेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभावता जानने और मूल्यांकित करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। वर्ष के दौरान लगभग 1700 शाखाओं/संसाधन केंद्रों ने आरसीएसए कवायद में हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आई शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- ▶ संपूर्ण व्यवसाय और समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों पर नजर रखती है।
- ▶ बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण भी करते हैं।
- ▶ परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए बासेल II में निर्धारित उन्नत उपाय पद्धति (एएमए) के अंतर्गत आवश्यक आंतरिक प्रणालियाँ भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।
- ▶ एएमए पर माइग्रेट करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन दे चुका है तथा सहयोगी बैंकों ने आशय पत्र दिए हैं।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं -

- ▶ बैंक द्वारा “अनुदेशावलियाँ” (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- ▶ व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- ▶ वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृत अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- ▶ स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- ▶ धोखाधड़ियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- ▶ आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- ▶ किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को दुबारा प्रारंभ करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाएँ

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाओं में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- ▶ धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।



- ▶ निवारक सतर्कता की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई है।
- ▶ आरसीएसए से सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों और डेटा लॉस के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- ▶ 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति अपनायी गई है। बीमा कंपनियाँ इसका अपवाद हैं।

डीएफ-9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलन-पत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में

ब्याज दर में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

बाजार दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के साथ)	20%

बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. परिमाणात्मक प्रकटीकरण (स्टेट बैंक समूह) (मार्च 2015) जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

विवरण	(₹ करोड़ में) निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	6882.34

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

विवरण	(₹ करोड़ में) निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	4043.66
	2021.83



डीएफ-10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान के पूर्व उससे व्युत्पन्न लेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कही जाती है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरीवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋणसीमाएँ अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया गया है। कारपोरेटों की डेरीवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ किया गया है।

बैंक ने ऐसे किसी बैंक के साथ कोई कोलेट्रल करार (ऋण सहायता सहित या समतुल्य) नहीं किया है जिसके लिए कोलेट्रल रखना आवश्यक हो। बैंक द्विपक्षीय निवलीकरण को नहीं मानता है।

डीएफ-11: पूंजी के घटक

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)

साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1): इंस्ट्रूमेंट और रिजर्व	राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
1 सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	42191.26	A1 + B3
2 प्रतिधारित उपार्जन	106751.51	B1 + B2 + B6 (#) + B7
3 संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिजर्व)		
4 सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यक्षीन होगी (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू) 1 जनवरी, 2018 तक छूट प्राप्त सरकारी क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण		
5 अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (राशि गुप सीईटी 1 में अनुमत)	3280.71	
6 विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	152223.48	
विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी		
7 विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन		
8 गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	567.13	378.09 D * 60%
9 अमूर्त बंधक की पूर्ति के अधिकार से हतर (संबंधित कर देयता घटाकर)	1867.85	124523.60
10 आस्थगित कर आस्तियाँ	566.49	377.66 C * 60%
11 कैश फ्लो हेज रिजर्व		
12 संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी		
13 बिक्री पर प्रतिभूतीकरण लाभ		

गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर विनिमय	112302.29	3595.76
ख) क्रॉस करेंसी विनिमय	19896.56	3049.10
ग) करेंसी विकल्प	9243.88	309.16
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	390183.51	12159.10
ङ) वायदा दर करार	Nil	Nil
च) अन्य (विदेशी विनिमय)	4.76	4.76
	1644.68	33.42
योग	533275.68	19151.30

(ग) जिन क्रेडिट डेरीवेटिव ट्रांजैक्शन के कारण सीसीआर (आनुमानिक मूल्य) में ऋण जोखिम उत्पन्न होता है, ऋण लेने वाली संस्थाओं और उनके मध्यवर्ती कार्यकलाप के उपयोग के लिए अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है। उपयोग में लाए गए क्रेडिट डेरीवेटिव उत्पादों में विभाजित किया जाता है और इसे प्रत्येक उत्पाद समूह के भीतर क्रय और विक्रय किए गए संरक्षण के बीच और विभाजित कर दिया जाता है।

कोई नहीं



बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)	राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
14 उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि		
15 नियत लाभ पेन्शन फंड निवल आस्तियाँ	7.94	
16 स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	26.38	
17 साझा इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	151.59	101.06
18 उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	7.50	
19 उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	6.01	
20 बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
21 अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)		
22 15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि		
23 जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश		
24 जिसमें : बंधक शोधन अधिकार		
25 जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ		
26 राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	808.62	
26क जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	808.08	538.72
26ख जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश		
26ग जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है		
26घ जिसमें : अपरिशोधित पेन्शन निधि व्यय	0.54	0
बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों के लिए साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] उदाहरण के लिए : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर वसूल न की गई हानियों में से निकाली गई राशि (भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं)		
जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]		
जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]		
27 कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
28 साझा टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	4009.51	
29 साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	148213.98	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : लिखत		
30 सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	2970.00	
31 जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)		



बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)	राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
32 जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	2970.00	
33 अतिरिक्त टियर 1 में से कम होने वाले सीधे जारी किए गए पूंजीगत लिखत	3536.85	
34 अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धरित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और सीईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी 1 में अनुमत)	1622.80	
35 जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं	1221.50	
36 विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	8129.65	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : विनियामक समायोजन		
37 स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश		
38 अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	54.51	36.34
39 विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
40 उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
41 राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)		
41क असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41ख आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी		
बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर अतिरिक्त टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	2287.95	4149.32
जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें, जैसे - डीटीए]		
जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें। जैसे - मौजूदा समायोजन जिनके द्वारा टियर 1 में से 50% की कटौती की गई है]		
जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]		
42 कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	2342.46	
44 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	5787.19	
44 क अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	5787.19	
जिसे पूंजी पर्याप्तता में शामिल किया गया है		
45 टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) [29+44 क]	154001.17	
टियर 2 पूंजी : लिखत और प्रावधान		
46 सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य	2000.00	
47 सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत, जो टियर 2 से कम होने वाले हैं	22122.52	



बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित टियर 2 लिखत (और सीईटी 1 और एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	7080.56	
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं		
50	प्रावधान	9849.25	
51	विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूंजी	41052.33	
टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर 2 लिखतों में निवेश		
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	4.33	2.89
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (पात्र अधिविक्रयों की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)		
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश		
56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है, टियर 2 पूंजी में कमी		
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	269.36	1077.44
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] जैसे - मौजूदा समायोजन, जिनमें टियर 2 में से 50% की कटौती की गई है]		
जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	273.69	
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	40778.64	
58क	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना की गई टियर 2 पूंजी	40778.64	
58ख	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसकी गणना टियर 2 पूंजी के रूप में की गई है	0	
58ग	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी [58क +58ख]	40778.64	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी 1 + टी 2) [45 +58ग]	194779.81	
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों से संबंधित जोखिम भारित आस्तियाँ		
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]		
	जिसमें :		
60	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क+60ख+60ग)	1622574.33	
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	1364460.13	
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	123514.61	
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	134599.59	
पूंजी अनुपात			
61	साझा इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.13%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.49%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.00%	



बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)	राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
64 संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त)	0%	
65 जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%	
66 जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%	
67 जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%	
68 सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर 1 इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)		
69 राष्ट्रीय साझा इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50%	
70 राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00%	
71 राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00%	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार के पूर्व)		
72 अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में छोटी राशि के निवेश		
73 वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश		
74 बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75 अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)		
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं		
76 मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	9849.25	
77 मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	17055.75	
78 आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर 2 में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0	
79 आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन टियर 2 के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0	
पूंजी लिखत जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)		
80 सीईटी 1 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है		
81 उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
82 एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं		
83 उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
84 टी 2 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है		
85 उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		

*बी 6 आय और अन्य रिजर्व एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर निकाले गए हैं।



डीएफ-12: पूंजी घटक - समाधान संबंधी अपेक्षाएँ

31.03.2015 को स्टेट बैंक समूह का समेकित तुलन पत्र, बासेल III के अनुसार

चरण-1

		(₹ करोड़ में)	
		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को
क	पूंजी और देयताएँ		
i	प्रदत्त पूंजी	746.57	746.57
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	160,640.97	156,346.70
	आधे से कम हित	5,497.12	4,229.47
	कुल पूंजी	166,884.66	161,322.74
ii	जमाराशियाँ	2,052,960.79	2,053,955.13
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	19,099.84	19,099.84
	जिनमें : ग्राहकों से जमाराशियाँ	2,033,860.95	2,034,855.29
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	244,663.46	244,786.20
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	5,798.75	5,798.75
	जिनमें : बैंकों से	113,320.42	113,320.09
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	69,755.81	69,748.00
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	55,788.48	55,919.36
iv	अन्य देयताएँ और प्रावधान	235,601.11	163,682.60
	कुल	2,700,110.02	2,623,746.67
ख	आस्तियाँ		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष	144,287.55	144,102.28
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	64,299.02	61,971.13
ii	निवेश	695,691.75	624,746.95
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	525,491.74	501,796.43
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,538.46	22.33
	जिनमें : शेयर	27,464.02	5,023.47
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	72,532.97	58,790.25
	जिनमें : अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,359.20	1,955.52
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	64,305.36	57,158.95
iii	ऋण और अग्रिम	1,692,211.33	1,692,209.56
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	51,013.20	51,013.20
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,641,198.13	1,641,196.36
iv	अचल आस्तियाँ	12,379.30	12,004.54
v	अन्य आस्तियाँ	90,295.85	87,766.99
	जिनमें : गुडविल और अमूर्त आस्तियाँ	3,113.09	3,113.09
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	949.50	944.15
vi	समेकन पर गुडविल	945.22	945.22
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-
	कुल आस्तियाँ	2,700,110.02	2,623,746.67



चरण-2

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	संदर्भ क्रमांक
क पूंजी और देयताएँ			
i प्रदत्त पूंजी	746.57	746.57	A
जिनमें : सीईटी1 के लिए पात्र राशि	746.57	746.57	A1
जिनमें : एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	A2
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	160,640.97	156,346.70	B
जिनमें : सांविधिक आरक्षित निधि	57,789.73	57,789.73	B1
जिनमें : पूंजीगत आरक्षित निधि	2,816.00	2,814.40	B2
जिनमें : शेयर प्रीमियम	41,444.69	41,444.69	B3
जिनमें : निवेश आरक्षित निधि	1,381.85	1,381.85	B4
जिनमें : विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि	6,765.71	6,763.65	B5
जिनमें : आय और अन्य आरक्षित निधि	47,827.11	45,454.91	B6
जिनमें : लाभ और हानि खाते में शेष	2,615.88	697.47	B7
आधे से कम हिस्सेदारी	5,497.12	4,229.47	
कुल पूंजी	166,884.66	161,322.74	
ii जमाराशियाँ	2,052,960.79	2,053,955.13	
जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	19,099.84	19,099.84	
जिनमें : ग्राहक से जमाराशियाँ	2,033,860.95	2,034,855.29	
जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया उल्लेख करें)	-	-	
iii उधार	244,663.46	244,786.20	
जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	5,798.75	5,798.75	
जिनमें : बैंकों से	113,320.42	113,320.09	
जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	69,755.81	69,748.00	
जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-	
जिनमें : पूंजीगत लिखत	55,788.48	55,919.36	
iv अन्य देयताएँ और प्रावधान	235,601.11	163,682.60	
जिनमें : गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
जिनमें : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
कुल	2,700,110.02	2,623,746.67	
ख आस्तियाँ			
i भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष	144,287.55	144,102.28	
बैंकों के पास जमाशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि	64,299.02	61,971.13	
ii निवेश	695,691.75	624,746.95	
जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	525,491.74	501,796.43	
जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,538.46	22.33	
जिनमें : शेयर	27,464.02	5,023.47	
जिनमें : डिबेंचर और बांड	72,532.97	58,790.25	
जिनमें : अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,359.20	1,955.52	
जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	64,305.36	57,158.95	
iii ऋण और अग्रिम	1,692,211.33	1,692,209.56	
जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	51,013.20	51,013.20	
जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,641,198.13	1,641,196.36	
iv अचल आस्तियाँ	12,379.30	12,004.54	
v अन्य आस्तियाँ	90,295.85	87,766.99	
जिनमें : गुडविल	-	-	
जिनमें : अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	3,113.09	3,113.09	
जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	949.50	944.15	C
vi समेकन पर गुडविल	945.22	945.22	D
vii लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-	
कुल आस्तियाँ	2,700,110.02	2,623,746.67	



साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ

	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी का घटक	संदर्भ क्र. (डीएफ-12 : चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त साझा शेयर पूंजी (और गैर स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) और संबंधित स्टॉक अधिशेष	A1 + B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	B1 + B2 + B6 (#) + B7
3	संचित अन्य व्यापक आय (अन्य कोई भी रिज़र्व)	0
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से हटने वाली है (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)	0
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित साझा शेयर पूंजी (समूह की सीईटी 1 में अनुमत राशि)	3280.71
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	152223.48
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	0
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	567.13
		D * 60%

* बी6: आय और अन्य आरक्षित निधियाँ एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर दिखाई गई हैं

डीएफ - समूह जोखिम : समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

समूह की कंपनियों के संबंध में*

(विदेश स्थित बैंकिंग कंपनियाँ,

देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ)

सामान्य विवरण

कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियाँ प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाती हैं / अनुपालन करती हैं।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए गए हैं चाहे उनकी वाणिज्यिक शर्तें हों या प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान जैसे मामले।
विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि साझे विपणन, ब्रांडिंग में समूह की कंपनियों को एसबीआई का अव्यक्त समर्थन है।
वित्तीय सहायता का ब्योरा*, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:

- समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;
- समूह की इकाइयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;
- समूह के भीतर हर कंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;
- पूँजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;
- 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।



बैंकिंग - देश में स्थित	बैंकिंग - विदेश स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई काडर्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक (मारीशस) लि.	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
	भारतीय स्टेट बैंक (बोत्सवाना) लि.	एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेशन फंड्स प्रा. लि.
		एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.
		एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.

विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रकटीकरण (डीएफ-13) और विनियामक पूंजी लिखतों से संबंधित पूर्ण निबंधन एवं शर्तों (डीएफ-14) को बैंक वेबसाइट www.sbi.co.in/www.statebankofindia.com पर कारपोरेट अभिशासन बेसल - 3 प्रकटीकरण खण्ड लिंक के अतर्गत अलग-अलग प्रकट किए गए हैं।

मार्च 2015 की समाप्ति पर ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण हेतु संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण

क्र. संकेतक	उप-संकेतक	राशि भारतीय रुपए में (बिलियन में)
1. प्रति-अधिकार क्षेत्र संबंधी गतिविधि	प्रति-अधिकार क्षेत्र संबंधी दावे	3163.80
	प्रति-अधिकार क्षेत्र संबंधी देयताएं	4110.40
2. आकार	बासेल-3 लिवरेज अनुपात में उपयोग हेतु यथा परिभाषित कुल वित्तीय संबद्धता (जोरिखम)	32687.77
3. अंतर-सम्बद्धता	अंतरा वित्तीय प्रणाली आस्तियां	1229.61
	अंतरा वित्तीय प्रणाली देयताएं	202.49
	बकाया प्रतिभूतियां	1088.75
4. सबस्टिट्यूबिलिटी/वित्तीय संस्था आधारिक संरचना	अभिरक्षा अधीन आस्तियां	1522.50
	भुगतान गतिविधि	94184.87
	ऋण एवं ईक्विटी बाजारों में कम मूल्य पर दिखाए गए लेनदेन	0.86
5. जटिलता	ओटीसी डेरीवेटिव्स की काल्पनिक राशि	7123.47
	स्तर-3 की आस्तियां	111.78
	ट्रेडिंग और विक्रय हेतु उपलब्ध प्रतिभूतियां	416.51

